



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 पौष 1934 (श0)
(सं0 पटना 55) पटना, शुक्रवार, 4 जनवरी 2013

योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

अधिसूचना

4 फरवरी 2011

सं0 जी०सां०का०-01/08-38-226—1. जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा-4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संयुक्त निदेशक (जीवनांक), अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ बिहार राज्य के लिए मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु) नियुक्त किया जाता है ।

2. पूर्व में निर्गत आदेश स्था०/वि०-29.01.70 यो०वि०-3125 दिनांक 25.05.70 तथा जी०सां०का० 5/1974 सं०-232 दिनांक 06.02.75 को इस अंश तक संशोधित समझा जाए। यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा ।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,
प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 55-571+3000-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>